कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 102 / 1-12 देहरादून दिनांक, 30 जून, 2022

पदोन्नति / तैनाती

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF, उत्तराखण्ड के वनादेश सं0 86 / 1–12 दिनांक 14–06–2022 से पात्रता मे शिथिलीकरण अनुमन्य कराये जाने के पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 2061 / 1–12 दिनांक 06–06–2022 द्वारा कनिष्ट सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 29–06–2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर चयन वर्ष 2021–22 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित कनिष्ट सहायकों वेतनमान रू0 21700–69100 वेतन मैट्रिक्स लेविल–3 की वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू0 29200–92300 वेतन मैट्रिक्स लेविल–5 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति की जाती है :–

क्र0 सं0	कनिष्ठ सहायक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय
1	2	3
1	श्री अजय बहुखण्डी	कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी
2	श्री सौरभ रावत	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून
3	श्री हरीश भट्ट	मु0व0सं0, मा0सं0वि0 एवं कार्मिक प्रबंधन देहरादून
4	श्रीमती सुषमा बिष्ट	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून
5	श्री गौरव बडोनी	यमुना वृत्त देहरादून
6	कु0 निशा	चकराता वन प्रभाग चकराता
7	कुमारी ज्योती	मुख्य वन संरक्षक,सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ देहरादून
8	श्री अंकित नेगी	गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी
9	श्री दीपांशु सागर	मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना हल्द्वानी
10	श्री अंकुश चौधरी	भुमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

30.6.22

11	श्री दीपक रावत	लैन्सडौन वन प्रभाग,कोटद्वार
12	श्री विनोद कुमार	टौन्स वन प्रभाग पुरोला
13	श्रीमती सुदेश रानी	चकराता वन प्रभाग चकराता
14	श्री पंकज बिष्ट	नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती
15	श्री रोहित गुप्ता	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
16	श्री उमेन्द्र सिंह बिष्ट	भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत
17	श्री मनीष डोभाल	वन संरक्षक,गढवाल वृत्त पौडी
18	कु0 वर्षा बिष्ट	लैन्सडौन वन प्रभाग,कोटद्वार
19	श्री भुवन सिंह राणा	भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल
20	श्री दीपक नेगी	हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार
21	श्री दीपक काला	गोविन्द वन्यजीव विहार पुरोला
22	श्रीमती नीमा आर्य	तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर
23	कु0 ऋतु आर्य	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी
24	श्री चन्द्रमोहन सिंह	रामनगर वन प्रभाग रामनगर
25	श्रीमती निशा जोशी	वन सरंक्षक, दक्षिणी कुमांऊ वृत्त नैनीताल

1. पदोन्नत कार्मिक कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. शासनादेश सं0 206/XXX(2)/2020/30(13)/2017 टी0सी0 दिनांक 31–08–2020 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 19(2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि को न्यूनतम 02 वर्ष अर्थात दिनांक 30–06–2022 तक की अवधि हेतु विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिन कार्मिकों ने अपने सेवाकाल के आधे भाग की सेवा दुर्गम स्थान पर नही की गयी है तथा अधिनियम की धारा–7 खण्ड 'घ' से आचछादित नही हैं और उन्हें सुगम से सुगम स्थान में तैनाती दे दी गयी नियंत्रक अधिकारी द्वारा उनकी पदोन्नति तभी स्वीकार की जाय जब वह इस आशय का बंधक पत्र प्रस्तुत करेगें कि

30.6.22

भविष्य में उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार दुर्गम स्थल की सेवा पूर्ण करने हेतु उनका स्थानान्तरण अथवा पदोन्नति उपरान्त तैनाती दुर्गम स्थल में होने पर वह कोई अपत्ति नही करेगें। यदि किसी कार्मिक द्वारा उक्त बंधक पत्र नही दिया जाता तो उनसे दुर्गम क्षेत्र में तैनाती का विकल्प प्राप्त कर इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि कार्मिक का तैनाती आदेश संशोधित किया जा सके।

3. पदोन्नति पद पर योगदान वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही देगें। संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक अपने क्षेत्रांतर्गत कार्मिकों की रिक्तियों पर आवश्यकतानुसार नियमानुसार पृथक से तैनाती/स्थानान्तरण हेतु स्वतंत्र होगें।

4. संबंधित कार्मिक पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया है और कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा ।

5. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये।

30.6.22

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

पत्र सं0 2200 (1)/1-12 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मु0व0सं0, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, देहरादून, को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
3. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

30.6.22

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक